

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या: 354/2022 प्रा0पत्र

दिनांक- 28.12.2022

## अनवान

जगदीश चन्द्र कुडिया वर्ग0रा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

-:: आदेश ::-

प्रार्थीगण जगदीश पिता गोपीलाल कुडिया, मुकेश कुमार पिता मानकलाल, विनोद कुमार पिता रोशन लाल, निवासी करेड़ा के आराजी नम्बर 9557/9075, 9558/9075, 9559/9075, 9560/9075, में आने जाने के रास्ते हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार करेड़ा द्वारा प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 251ए दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी एवं तहसीलदार करेड़ा की अभिशंषा का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा के आराजी न.4934 रकबा 0.1269 हैक्टर किस्म बंजड में से 0.0632 हैक्टर प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग की जा रही है। रास्ते के रूप में सार्वजनिक उपयोग की होने तथा ग्राम वासियान एवं खातेदारों के खेतों पर आने-जाने के काम आ रहा हैं मौके पर रास्ता चालू हैं परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया हैं साथ ही तहसीलदार करेड़ा ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार करेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा के बिलानाम आ0नं0 4934 रकबा 0.1269 हैक्टर में से 0.0632 हैक्टर कुल किता 01 रकबा 0.0632 हैक्टर भूमि की वर्तमान में प्रचलित डी.एल.सी. दर की दो गुना राशी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करा मौके पर उक्तानुसार चालू रास्ते का राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शों में, संलग्न नक्शे में प्रस्तावित तस्मीम अनुसार अंकन करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 28.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(महीपाल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी पटवार  
उपखण्ड अधिकारी पटवार  
सहायक कलक्टर करेड़ा

